

बाबा का त्यकितत्व सबसे अलग था : देशलहरा

दुर्ग (नवप्रदेश)

ने उपस्थित होकर बाबा जी के तैल चित्र पर व्यकितत्व सबसे अलग था उन्होंने सत्य के

शहर के विभिन्न वाडों में बाबा गुरु घासीदास की 261 वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। गुरु घासीदास वाड पोटाया बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जन्ता कायस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश महासचिव प्रकाश देशलहरा थे कार्यक्रम के अध्यक्ष शहर जिला अध्यक्ष आनंद यादव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मिश्रा जिला महिला अध्यक्ष मालती देवानग शहर महिला अध्यक्ष खुशबू राठौड़ प्रदेश सचिव रंजना त्रेहान नगरीय निकाय अध्यक्ष लाल सोनी शहर युवा अध्यक्ष विवेक मिश्रा



माल्यापण कर पूजा अर्चना कर जैतखंभ पर ध्वजारोहण किया इस अवसर पर श्री देशलहरा ने कहा कि गुरुघासी दास जी का

मार्ग पर चलने का संदेश दिया और मानव जीवन को सफल बनाने के कई ऐसे उपदेश दिये जिन्हें आत्म सात करने की जरूरत है इस कार्यक्रम के पश्चात समस्त पदाधिकारी सतनाम भवन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए मध्ी भारतीय एवं पदाधिकारी व कार्यकर्ताभी उपस्थित रहे।

फाईनेंस वाले ट्रेक्टरों की चोरी, गिरोह पकड़ाया

दुर्ग (नवप्रदेश)। क्राइम ब्रांच ने बुधवार को ऐसे मामला का खुलासा किया है जिसमें गिरोह फाईनेंस के जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। गुरु घासीदास वाड पोटाया बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जन्ता कायस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश महासचिव प्रकाश देशलहरा थे कार्यक्रम के अध्यक्ष शहर जिला अध्यक्ष आनंद यादव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मिश्रा जिला महिला अध्यक्ष मालती देवानग शहर महिला अध्यक्ष खुशबू राठौड़ प्रदेश सचिव रंजना त्रेहान नगरीय निकाय अध्यक्ष लाल सोनी शहर युवा अध्यक्ष विवेक मिश्रा

यायालय अनुविभागीय अधिकारी, धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) उद्घोषणा रा.प्र.क्र./अ-2/2015-16 एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक श्रि अशोक सिंह आ. स्व. श्री राजकुमार सिंह निवासी वसुंधरा नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि कुमारी, प.ह.न. 46/53 तहसील धमधा, जिला-दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 359/27 रकबा 0.405 हे. के वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु पुनर्निर्माण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.पू.स. सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में निवृत्त दिनांक 28.12.2017 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी धमधा, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग उद्घोषणा रा.प्र.क्र./372/अ-2/17-18 एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक श्री अशोक दुबे आ. श्री साहिलकराम दुबे निवासी मालपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम - पोटायाकला, प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 89/463 रकबा 0.027 हे. / 2881 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डाकवर्सन के लिए छ.ग.पू.स.सं. 1959 की धारा 59(2) के तहत पुनर्निर्माण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में निवृत्त दिनांक 28.12.2017 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी धमधा, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) उद्घोषणा-पत्र रा.प्र.क्र. 333/अ-2/2017-18 और लॉन्ड नंबर 2017/12/100400061 एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक श्री अशोक सिंह आ. स्व. श्री राजकुमार सिंह निवासी वसुंधरा नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम - पोटायाकला, प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 89/463 रकबा 0.027 हे. / 2881 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डाकवर्सन के लिए छ.ग.पू.स.सं. 1959 की धारा 59(2) के तहत पुनर्निर्माण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में निवृत्त दिनांक 28.12.2017 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी धमधा, जिला-दुर्ग

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के अकासीय भूखण्ड/आवासीय धमधा को फ्री होल्ड के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में छ.ग. शासन आवास एवं पब्लिक विभाग मंडल रायपुर के अकासीय क्रमांक एफ.1-100/2009/32 रायपुर दिनांक 30.12.2011 एवम् सस संख्या आदेश दिनांक 13.03.2012 के परिपालन में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल के निर्माण-लिये हितधारियों के द्वारा जिनके नाम व कालोनी का नाम एवं आवासीय पुरखण्ड/धमधा क्रमांक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवंटित है, को फ्री होल्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया गया है। इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो यथा दस्तावेज अपोहस्तक्षरता के कारालय में कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निवृत्त तिथि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, रायपुर वन मण्डल, रायपुर नीलाम की संक्षिप्त सूचना सर्व साधारण को सूचनाई प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर वनमण्डल रायपुर के विभिन्न हिस्से में अनिवारित वनोपज का बोध विक्रय दिनांक 27.12.2017 को प्रातः 11.00 बजे वनमण्डल कार्यालय, रायपुर वनमण्डल रायपुर, राजानताल रायपुर में किया जावेगा। इच्छुक क्रेता स्थल पर समय पर उपस्थित रहे। वनोपज का विवरण (1) मिश्रित जलाऊ 733 चट्टा। (2) व्यापारिक बांस (विभिन्न साइज) 15950 नगा। (3) व्यापारिक बांस (टुकड़ों में) 1443 नगा। (4) सट्टा 2.933 घ.मी। (5) मिश्रित बल्ली 638 नगा। (6) के.पी. 448 नगा। नीलाम की शर्त आदि की जानकारी वनमण्डल कार्यालय से कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलाम में सम्मिलित होने वाले बोलीदारों को सलाह दी जाती है कि वे वनोपज का अवलोकन कर लेने ताकि कि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो सके। व्यापारी स्थिति प्रमाण पत्र एवं आकर PAN No. प्रस्तुत करना आवश्यक है। वनमण्डल अधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर जी-46532/4

कार्यालय संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.) 494001 E-mail- jditjgd@rediffmail.com Phone 07782-264056 जगदलपुर, दिनांक /12/2017 कार्यालय आमंत्रण सूचना बस्तर संभाग में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्था/छात्रावास परिसर में लगभग 55 सुरक्षाकर्मी/गाई रखे जाने हेतु निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। निविद के निम्न एवं शर्तों के लिए तथा निविदा प्राप्त कार्यालय प्राचाय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जगदलपुर जिला बस्तर में निविदा प्रस्तुत का मूल्य 5000/- देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक आवेक/फर्म/एजेंसी अपना आवेदन दिनांक 23 जनवरी 2018 शा 5 बजे तक कार्यालय प्राचाय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर जिला-बस्तर में स्प्रीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ऑफिस से जमा कर सकते हैं। 1. निविदा विक्रय की अंतिम तिथि - दिनांक 22.01.2018 शाम 5 बजे तक 2. निविदा विक्रय का स्थान - कार्यालय प्राचाय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर जिला-बस्तर 3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - दिनांक 23.01.2018 समय शाम 5 बजे तक 4. निविदा जमा करने का स्थान - कार्यालय प्राचाय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर जिला-बस्तर 5. टेन्डरकल/फाईनेललिड बिड खोलने की तिथि- दिनांक 24.01.2018 दोपहर 3 बजे निविदा हेतु फीस का विवरण 1. टेंडर फीस - 5000 रूपए (कैश में) 2. अमानत राशि (डिपॉजिट) - 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में) विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर कार्यालय में संपर्क अथवा दूरभाष 07782-264056/07782-264034 में संपर्क कर सकते हैं। संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र, जगदलपुर (छ.ग.) जी-46517/5

सम्प्रेषण सर्टिफिकेट मिलने के लिए की हुई दरखास्त का नोटिस इण्डियन सम्प्रेषण एक्ट सन् 1925 दफा 373 (1) प्र. क्र. 560/2017 मिसलेनिजियु जे.के.सं.नं. 109/17 पेशी तारीख 12.11.18 न्यायालय श्रीमान बरधम कुमार देवानग तृतीय व्यवहार न्यायाधीश-वर्ग 1 दुर्ग (छ.ग.) सायल विजय शंकर राम व/स सुनिद्र कुमार अरुण बन्ना आम जनता (मुक्त से संबंध हो) को सफाई प्रस्तुत न मृत स्व. अंजल्लुपुत्र के कर्ता और निर्यापुत्री के विधवा में सम्प्रेषण सर्टिफिकेट मिलने के लिए इस अवलत में परखरालत पेश की है और क्योंकि उस परखरालत की सुनवाई तारीख 12 माह 01 सन 18 ई. को दिनांक 11 बजे होगी। हम तुम्हें तब तक करते हैं कि यदि मुक्तविक को जायदद में तुम्हें कुछ हक हासिल है ऐसा तुम दावा रखते हो तो तुम उस तारीख को हक की कैफियत के साथ हाजिर हो जाओ, यदि तुम हाजिर नहीं होओगे तो उस दरखास्त की सुनवाई तुम्हारी मेरवांती में होगी। आज तारीख 20 माह 11 सन 2017 को अवलत की मोहर से जारी किया गया। बरधम कुमार देवानग तृतीय व्यवहार न्यायाधीश-वर्ग-1 दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-5, सेंजहादर, रायपुर (छ.ग.) email ID: eoeghbzone5@gmail.com आम सूचना छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी सेजहादर रायपुर में निर्मित वैनलाल आवास योजनांतर्गत पवन क्रमांक एफ.अं.जी.-689, श्री विशाल नृपान पिता स्व. श्री मोतीलाल गुप्ता-पति-मिती कबीर, जयपुर मौर के पास, बार्डिंग, रायपुर (छ.ग.) को वास्तुकार आदर पर आवेदित किया गया है। उक्तें द्वारा उक्त पवन की दिनांक 21.03.2013 को सेलैटिड विवरण पर निष्पत्त कर दिया गया है, अनेक द्वारा उक्त पवन का विक्रय अनुमति पर क्रमांक 895 दिनांक 21.03.2014 को प्राप्त कर विक्रय विवरण श्रीमती नीरजा शुक्ला, पति श्री अमित शुक्ला पता- म.नं. A-33, तीरसा माला, हर्ष उदर, देवपुरी, रायपुर (छ.ग.) के नाम पर दिनांक 26.03.2014 को निर्मादित कर दिया गया है। पश्चात उक्त पवन का न्यायालय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त पवन को श्रीमती नीरजा शुक्ला, पति श्री अमित शुक्ला, पता- म.नं. A-33, तीरसा माला, हर्ष उदर, देवपुरी रायपुर (छ.ग.) के नाम पर न्यायालय किया जाना है। किसी भी व्यक्ति, शासकीय/अदशाशासकीय संस्था/इण्टी को उक्त पवन के न्यायालय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकरण में निवृत्त दिनांक 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। संघर्ष अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-5 सेंजहादर, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जोन क्रमांक-5 ईंदाह भाटा पानी टंकी के पास प।न. 071-465519 Email rmczone@gmail.com ईंश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना नामांतरण प्र.क्र. 392 दिनांक 19.12.17 वाई का नाम- लाल बहादुर शास्त्री-33 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई-67 स्थित मकान/ भूमि 67/गया जो कि निगम अधिलेख में श्रीमती कुमारी वाई साहू पति पुनश्चराम राम साहू के नाम से दर्ज है जिसको श्री योगेश कुमार देवानग पति कुशामरा देवानग ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वसंतुकुमर/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। जोन कायुक्त जोन क्रमांक-5 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, email rmczone3@gmail.com ईंश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना नामांतरण प्र.क्र. 291/17-18 वाई का नाम- कालीमता-30 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कालीमता-30 वाई स्थित मकान/ भूमि/राजिव नगर, एं-04 जो कि निगम अधिलेख में श्री लालचंद कान्या (कानिया) S/O उपरोक्त कान्या (कानिया) के नाम से दर्ज है, जिसको श्री नीरज झा D/O स्व. शेख हबीब रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वसंतुकुमर/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। दिनांक जोन कायुक्त 20.12.17 जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, email rmczone3@gmail.com ईंश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना नामांतरण प्र.क्र. 290/17-18 वाई का नाम- लाल बहादुर शास्त्री-33 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री-33 वाई स्थित मकान/ भूमि/ 33/223 जो कि निगम अधिलेख में श्रीमती प्यारी बेगम W/O स्व. शेख हबीब के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती मुनाजत अर्थात D/O स्व. शेख हबीब रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वसंतुकुमर/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। दिनांक जोन कायुक्त 20.12.17 जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, email rmczone3@gmail.com ईंश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना नामांतरण प्र.क्र. 290/17-18 वाई का नाम- लाल बहादुर शास्त्री-33 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री-33 वाई स्थित मकान/ भूमि/ 33/223 जो कि निगम अधिलेख में श्रीमती प्यारी बेगम W/O स्व. शेख हबीब के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती मुनाजत अर्थात D/O स्व. शेख हबीब रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वसंतुकुमर/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। दिनांक जोन कायुक्त 20.12.17 जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, email rmczone3@gmail.com ईंश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना नामांतरण प्र.क्र. 289/17-18 वाई का नाम- लाल बहादुर शास्त्री-33 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री-33 वाई स्थित मकान/ भूमि/ 33/341 जो कि निगम अधिलेख में श्रीमती प्यारी बेगम W/O स्व. शेख हबीब के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती शमा परवीन D/O स्व. शेख हबीब रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वसंतुकुमर/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। दिनांक जोन कायुक्त 20.12.17 जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, email rmczone3@gmail.com ईंश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना नामांतरण प्र.क्र. 288/17-18 वाई का नाम- लाल बहादुर शास्त्री-33 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री-33 वाई स्थित मकान/ भूमि/ 33/341 जो कि निगम अधिलेख में श्रीमती प्यारी बेगम W/O स्व. शेख हबीब के नाम से दर्ज है, जिसको श्री शेख नवाब S/O स्व. शेख हबीब रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वसंतुकुमर/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। दिनांक जोन कायुक्त 20.12.17 जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.) मामला क्र. 140/अ-6/2017-18 उद्घोषणा-पत्र एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक/आवेदिका नीरा गुप्ता पिता/पति सतोष गुप्ता साकिन गया नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम-शुवा भूमि ग्राम बंगरा प.ह.न. 07 तह. व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 163/6 का टुकड़ा रकबा 0.115 हेक्टेयर भूमि को विक्रय पर के आधार पर विक्रेता बुद्धक पिता जगन्नाथ के नाम से पुश्क कर आवेक का नाम पटवारी अधिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पत्र करना हो तो पेशी दिनांक 8.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 14.12.2017 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पर मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है। नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.) मामला क्र. 141/अ-6/2017-18 उद्घोषणा-पत्र एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक/आवेदिका बुजलाल साहू पिता बुद्धक साकिन गया नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम-शुवा भूमि ग्राम बंगरा प.ह.न. 07 तह. व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 163/6 का टुकड़ा रकबा 0.115 हेक्टेयर भूमि को उपचार पर के आधार पर उपहारकर्ता बुद्धक पिता जगन्नाथ के नाम से पुश्क कर आवेक का नाम पटवारी अधिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पत्र करना हो तो पेशी दिनांक 7.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 14.12.2017 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पर मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है। नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.) मामला क्र. 137/अ-6/2017-18 उद्घोषणा-पत्र एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक/आवेदिका धीरपालसाहू एतद् द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम-सिकोली प.ह.न. 08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 45/37 रकबा 0.027 हे. अर्थात् 3000 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डाकवर्सन के लिए आवेदन पत्र छ.ग. पू.स.सं. 1959 की धारा 59(2) के तहत पुनर्निर्माण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में निवृत्त दिनांक 28/12/2017 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से साथ जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, email rmczone3@gmail.com ईंश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना नामांतरण प्र.क्र. 289/17-18 वाई का नाम- लाल बहादुर शास्त्री-33 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री-33 वाई स्थित मकान/ भूमि/ 33/223 जो कि निगम अधिलेख में श्रीमती प्यारी बेगम W/O स्व. शेख हबीब के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती मुनाजत अर्थात D/O स्व. शेख हबीब रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वसंतुकुमर/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि परचात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। दिनांक जोन कायुक्त 20.12.17 जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग उद्घोषणा रा.प्र.क्र.381/अ-2/17-18 एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक श्री अंकाजू साहू आ. श्री इतवारि साहू निवासी उरला तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम उरला प.ह.नं. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 264/2 रकबा 0.111 हे.111.950 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डाकवर्सन के लिए आवेदन पत्र छ.ग.पू.स.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुनर्निर्माण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन के 15 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से साथ जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.) उद्घोषणा रा.प्र.क्र./अ-6/2017-18 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेक संसालत आ. पुनराय निवासी बोरी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम धनीरा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 76/2 रकबा 0.200 हे. भूमि जो कि पुनोत्तर, पुनाराय आ. बुलवृत्त के नाम पर वर्धमान राजस्व अधिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी के मृत्यु 8.6.2016, 28.8.92 हो जाने पर पत्नी देव क. विधिक वारिसों का नाम वर्धमान राजस्व अधिलेख में दर्ज किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत कर इत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह निवृत्त पेशी दिनांक 16.1.2018 तक स्वयं अथवा अपने अधिलेख में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 15.12.2017 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पर मुद्रा से साथ जारी किया गया। नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.) उद्घोषणा रा.प्र.क्र./अ-6/अ/2017-18 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेक जयंती लाल पिता प्रेमजी भाई निवासी करौलीडोह मौजा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम बोरसी प.ह.नं.19 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 215/38 रकबा 0.0228/2400 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डाकवर्सन के लिए आवेदन पत्र छ.ग. पू.स.सं. 1959 की धारा 59(2) के तहत पुनर्निर्माण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन के 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से साथ जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग उद्घोषणा रा.प्र.क्र.382/अ-2/17-18 एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक श्री रमेश कुमार देवमन आ. श्री नकुल राम देवानग निवासी पटना तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम बोरसी प.ह.नं.19 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 215/38 रकबा 0.0228/2400 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डाकवर्सन के लिए आवेदन पत्र छ.ग. पू.स.सं. 1959 की धारा 59(2) के तहत पुनर्निर्माण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन के 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से साथ जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग उद्घोषणा रा.प्र.क्र./अ-2/17-18 एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेक जगन्नाथ रजक आ. शंकरकरक निवासी तह. व जिला राजनांदगांव द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम सिकोली प.ह.नं. 08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नं. 45/37 रकबा 0.027 हे. अर्थात् 3000 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डाकवर्सन के लिए आवेदन पत्र छ.ग. पू.स.सं. 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र आदर पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में निवृत्त दिनांक 28/12/2017 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से साथ जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

OFFICE OF THE SUPDT, OF POLICE, SUKMA (C.G.) No./SP/Sukma/AC/10/2017 Dated 14/12/2017 Supdt. of Police Chhattisgarh Distt. Sukma on behalf of Governor Chhattisgarh invites sealed tenders of the following work from approved and eligible contractors for External Electrification of different police station/CRPF Camps with extension of 11 Kv DP line from one Police Station/ camps with extension of 11 Kv line from one location to the other location as mentioned below as well as establishment of high voltage transformer in the given police station/CRPF Camps. Current Schedule Rate has been adopted as per current status including GST Norms technically estimated by the Executive Engineer (O&M) CSPDCL Sukma. The registered Contractors of Category Class III & above shall apply for the given tender. The time of completion including rainy season is 03 months. The office will be received on the office of the SUPDT. OF POLICE SUKMA up to 15.00 PM. on Dtd 07.01.18 and will be open on dated 07.01.18 at 17.00 P.M. Tender form will be issued till date 30.12.17 up to 17.00PM. S. Name of work No. Approxi Cost